

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद महाराजगंज की ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु 03.09.2022 को जिलाधिकारी महाराजगंज/अध्यक्ष DWSM की अध्यक्षता में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु फेज-2 में चयनित फर्म में 0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) 6वां तल, कलपतरु सेनजी ग्राण्ड हांयात होटल के सामने, सान्ताक्रूज (ईस्ट), मुम्बई द्वारा प्रस्तुत 12 नग डी0पी0आर व फेज-3 में चयनित फर्म में 0 रिथविक कोया (जे.वी.) प्लॉट नं0- 37.39 नवोदया कालोनी, रोड नं0-2, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत 59 नग डी0पी0आर के तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव:-

जनपद महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के निर्माण एवं संचालन/अनुरक्षण (10 वर्ष) हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा फेज-2 हेतु फर्म में 0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) 6वां तल, कलपतरु सेनजी ग्राण्ड हांयात होटल के सामने, सान्ताक्रूज (ईस्ट), मुम्बई को 446 राजस्व ग्राम एवं फेज-3 हेतु फर्म में 0 रिथविक कोया (जे.वी.) प्लॉट नं0 37-39 नवोदया कालोनी, रोड नं0-2, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना को 652 राजस्व ग्राम आवंटित किये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदनोपरान्त फेज-2 हेतु फर्म में 0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) को कुल 446 राजस्व ग्रामों की सूची एवं फेज-3 हेतु फर्म में 0 रिथविक कोया (जे.वी.) को कुल 651 राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध कराते हुए तत्काल डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में जल जीवन मिशन फेज-2 अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदित कराये गये 7 नग डी0पी0आर0 पत्र संख्या 390/कार्य-114/60 दिनांक 05.06.2021, 83 नग डी0पी0आर0 पत्र संख्या 643/कार्य-161/63 दिनांक 13.08.2021, 105 नग डी0पी0आर0 पत्र संख्या 913/कार्य-161/101 दिनांक 21.10.2021, 48 नग डी0पी0आर0 पत्र संख्या 18/कार्य-161/01 दिनांक 06.01.2022, 26 नग डी0पी0आर0 पत्र संख्या 415/कार्य-114/28 दिनांक 26.04.2022, 25 नग डी0पी0आर0 पत्र संख्या 496/कार्य-114/40 दिनांक 18.05.2022 एवं 18 नग डी0पी0आर0 पत्र संख्या 758/कार्य-114/72 दिनांक 25.07.2022 द्वारा अर्थात् वर्तमान तक 407 राजस्व ग्रामों के 312 नग डी0पी0आर0 एवं फेज-3 अन्तर्गत फर्म में 0 रिथविक कोया (जे.वी.) द्वारा 82 राजस्व ग्रामों के 50 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये जा चुके हैं।

वर्तमान में फेज-2 अन्तर्गत में 0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) द्वारा 12 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें 12 ग्राम पंचायतों के 15 राजस्व ग्रामों की कुल 109 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए कुल 9825 घरों को FHTC प्रदान किया जाना है। एवं फेज-3 अन्तर्गत फर्म में 0 रिथविक कोया (जे.वी.) द्वारा 59 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें 82 ग्राम पंचायतों के 108 राजस्व ग्रामों की कुल 262 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए कुल 35110 घरों को FHTC प्रदान किया जाना है।

बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)/सदस्य सचिव जिला पेयजल स्वच्छता मिशन समिति द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये 12 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष 08 नग डी0पी0आर0 सोलर आधारित एवं 04 नग डी0पी0आर0 विद्युत आधारित है। शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05 अक्टूबर 2021(छाया प्रति संलग्न) व जी0एस0टी0 की दर में वृद्धि यथा संशोधित व्यवस्था के अनुसार डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत रू0 6400.00 की सीमा अनुमन्य है। उक्त में से 2 नग डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत अनुमन्य सीमा रू0 6400.00 प्रति व्यक्ति से अधिक है, जिसमें रजबल व गेडहवा ग्राम पंचायत के डी0पी0आर0 सम्मिलित है। उक्त ग्रामों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ग्रामों को किसी अन्य ग्राम में सम्मिलित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

फेज-3 अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये समस्त 59 नग डी0पी0आर0 सोलर आधारित है। उक्त में से 7 नग डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत अनुमन्य सीमा रू0 6400.00 प्रति व्यक्ति से अधिक है, जिसमें भिस्वा उर्फ कोटिया, पिपरा बाजार, बगही, जिगिना, सिंहोखा, रमगढ़वा एवं रामनगर ग्राम पंचायत के डी0पी0आर0 सम्मिलित है। उक्त ग्रामों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ग्रामों को किसी अन्य ग्राम में सम्मिलित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति लागत अधिक है, परन्तु वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि हेतु निर्गत निर्देशों की सीमा में 80 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक संशोधन किये जाने के फलस्वरूप JJM पोर्टल पर प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 स्वीकार्य है।

इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 344/W-17/2020-21 दिनांक 04जून,2021 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार विद्युत से संचालित नलकूप के प्रकरण में 16 घंटे Pumping Hours मानते हुये डी0पी0आर0 का विरचन किया गया है व वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि हेतु यथा संशोधित निर्देशों के क्रम में अनुमन्य सीमा 80 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत की सीमा के अनुसार डी0पी0आर0 का विरचन किया गया है। उक्त समस्त डी0पी0आर0 में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1499/E-46/2021 दिनांक 12 फरवरी, 2021 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार DI/ HDPE Pipe का प्राविधान किया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त डी0पी0आर0 में लगायी गयी दरें जल निगम की अन्तिम SOR(2019-20) की दरों से लगभग 10-20 % तक अधिक है। दिनांक 12.04.2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सम्बन्धित ग्राम पंचायत (ग्राम प्रधान/सचिव) से इस विषय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि इण्डेक्स प्लान के अनुसार ग्राम में कोई भी क्षेत्र पेयजल की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा, अर्थात् शतप्रतिशत बस्तियों को पाइप पेयजल से संतृप्त करने हेतु सम्मिलित कर लिया गया है।

निर्णय:- अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, महाराजगंज द्वारा फेज-2 अन्तर्गत 12 ग्राम पंचायतों के 15 राजस्व ग्रामों की कुल 109 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु प्रस्तुत किये गये 12 नग डी0पी0आर0 व फेज-3 अन्तर्गत 82 ग्राम पंचायतों के 108 राजस्व ग्रामों की कुल 262 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु प्रस्तुत किये गये 59 नग डी0पी0आर0की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से करने हेतु अनुमोदन पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं शेष डी0पी0आर0 शीघ्र प्रस्तुत कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही फर्म में0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट्स को कवर एग्रीमेंट हो चुके समस्त 155 पाइप पेयजल योजनाओं में कार्य प्रारम्भ करते हुये कार्यों की प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये एवं स्वीकृत हो चुकी समस्त पाइप पेयजल योजनाओं के त्रुपक्षीय अनुबन्ध तत्काल कराते हुये कवर एग्रीमेंट की कार्यवाही हेतु व शतप्रतिशत भूमि के चिन्हांकन/सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं प्रोजेक्ट मैनेजर फर्म मेसर्स जे0एम0सी0 व में0 रिथविक कोया (जे.वी.) दिये गये जिससे कार्य के दौरान अनावश्यक विलम्ब ना हों।

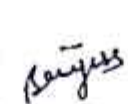

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
महाराजगंज


जिला विकास अधिकारी
महाराजगंज


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज

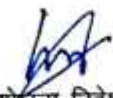

जिला वन अधिकारी
महाराजगंज

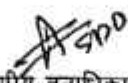

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
महाराजगंज


अधिशासी अभियन्ता (सिचाई)
महाराजगंज


अधिशासी अभियन्ता
भूगर्भ जल विभाग
गोरखपुर


मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज


परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
महाराजगंज


प्रभागीय वनाधिकारी
महाराजगंज


मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष DWSM
महाराजगंज


जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWSM
महाराजगंज